अपील सूचना अधिकार संख्या 97/2020(GCMS 2020/00168) श्री राधेश्याम गोयल निवासी मकान नं. 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर(मोबाईल नं. 94139–35077) (पोस्टल ऑर्डर नं. 46एफ/311180) बनाम अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर

08.03.2023

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी राधेश्याम गोयल स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी ने अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 26.06.2020 से छः बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर पर शास्ति अधिरोपित करने, हर्जाना प्रार्थी को दिलवाने एवं वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी राधेश्याम गोयल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 26.06.2020 के द्वारा अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर से निम्न छः बिन्दुओ की सूचना चाही थी:

1. प्रार्थी के पत्रांक 2975 दिनांक 02.03.2012 जो 09.03.2012 को आपके कार्यालय में प्रस्तुत किा गया था उसका आपके कार्यालय की प्राप्ति पंजिका का नम्बर व दिनांक की सूचना व प्रामणित प्रति।
2. पत्र में अंकित तथ्यों के बारे में [illegible] कार्यवाही की गयी है, उसकी सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित प्रति।
3. प्रार्थी का पत्रांक 3051 दिनांक 02.03.2012 जो कि दिनांक [illegible] 2012 को श्रीमान् जिला कलैक्टर को प्रस्तुत किया गया था, उसकी पत्र प्राप्ति पंजिका की सूचना व प्रमाणित प्रति।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.05.19 17:17:47 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

4. पत्रांक 3091 दिनांक 02.05.2012 के साथ संलग्न पत्रांक 475 दिनांक 12.03.2012.. या उस पर की गयी कार्यवाही की सूचना व प्रमाणित प्रति।
5. लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अन्तर्गत उपरोक्त दोनों पत्रों पर सम्बन्धित कर्मकार द्वारा कार्यवाही किये जाने व न किये जाने की सूचना जिसमें प्रार्थी द्वारा कार्यवाही करने के लिए आवेदन किया था।
6. प्रार्थी के पत्रांक पर कार्यवाही न करने के आधार पर दोषी कर्मकारों के विरूद्ध की गयी कार्यवाही की सूचना।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक 541 दिनांक 26.06.2020 से अपीलार्थी को उसका प्रार्थना लौटाया दिया है। इसलिए अपीलार्थी लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर के समक्ष पुनः आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सूचना प्राप्त कर सकता है और लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) को निर्देशित किया जाता है अपीलार्थी यदि पुनः स्पष्ट रूप से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें तो उसे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानुसार सूचना उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर, को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। **पत्रावली** बाद तर्तीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 08.03.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.05.19 17:17:47 IST
Reason: SelfAttested

(सौरभ स्वामी)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर